ालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सख्या : 41/2016

1. देवकीनन्दन पुत्र हीरालाल कलाल निवासी निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल
2. बृजमोहन मेवाडा पुत्र प्रभुलाल कलाल निवासी कृष्णा कॉलोनी तह0 छीपाबडौद जिला बारां

....प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. सूरजमल पुत्र जगन्नाथ
2. मुरलीधर पुत्र जगन्नाथ } जाति धाकड निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां
3. सुशीला बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि रामनारायण धाकड निवासी सीसवाली हाल निवास डाबरी सोरसन तह0 अंता जिला बारां
4. कोशल्या बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि नन्द किशोर धाकड निवासी सीसवाली हाल निवास कोटडा दीपसिंह तह0 दीगोद जिला कोटा
5. बिमला बाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि रघुनाथ धाकड निवासी सीसवाली हाल निवास डुंगरज्या तह0 दीगोद जिला कोटा
6. गोपाल
7. मुरारीलाल } पुत्रान केसरीलाल धाकड निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां
8. मनीष
9. दीपक } पुत्रान बनवारी जाति धाकड निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां
10. रेमन्त बाई पत्नि बनवारी
11. बद्री बाई पत्नि स्व0 केसरीलाल
12. राधाकिशन पुत्र मूलचंद
13. रामचरण पुत्र मूलचंद
14. मंजू बाई पत्नि माणकचंद } जाति धाकड निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां
15. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील प्रार्थीगण : श्री दया कृष्ण धाकड
वकील अप्राथीगण : श्री हरीश राजावत
दायरा दिनांक: 22.09.2016

निर्णय दिनांक : 09.03.2018

अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 पर बहस सुनी गयी। अप्राथीगण 3 ता 15 पूर्व से ही अनुपस्थित है। अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 ता 14 के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या नया 189 खसरा नं0 1255 रकबा 0.96 है0, खसरा नं0 1257 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 1436 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 1438 रकबा 0.65 है0, खसरा नं0 1440 रकबा 0.63 है0, खसरा नं0 2584 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 2585

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है0, खसरा नं0 2586 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 3050 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 4045 44 है0, खसरा नं0 4047 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 4048 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 5410 0.09 है0, खसरा नं0 5411 रकबा 0.56 है0, खसरा नं0 5453 रकबा 0.43 है0, खसरा नं0 5454 0.30 है0, खसरा नं0 5457 रकबा 0.20 है0 कुल किता 18 कुल रकबा 6.37 है0 आराजी ग्राम सवाली तह0 मांगरोल जिला बारां में स्थित है। जिसमें से हाल खसरा नं0 1255 रकबा 0.96 है0, खसरा नं0 1440 रकबा 0.63 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.59 है0 में से हिस्सा 1/2 दक्षिण दिशा पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्रार्थीगण ने उक्त आराजी अप्रार्थीगण कम 12 व 13 से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है। वक्त पंजीयन की है। अप्रार्थीगण कम 12 व 13 द्वारा प्रार्थीगण को काबिज करवा दिया था। तब से ही प्रार्थीगण निर्वाह रूप से खसरा नं0 1255 व 1440 रकबा 1.59 है0 के हिस्सा 1/2 दक्षिणी दिशा पर काबिज काश्त है। एवं सहखातेदारो का कोई उज्र नही रहा है। उक्त खसरा नं0 1255 व खसरा नं0 1440 रकबा 1.59 है0 दक्षिण दिशा हिस्सा 1/2 पर फसल सोयाबीन बोई थी व बुवाई अप्रार्थीगण 1 ता 11 मौके पर आये व झगडा करने लग गये कहा कि बुवाई नही करने देंगे। जमीन हमारी है।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण उक्त खरीदशुदा आराजी का रजिस्टर्ड मालिक है। एवं राजस्व रेकार्ड में सहखातेदार है। यदि प्रार्थी को अपने हिस्से की आराजी में काश्त नही करने दिया तो प्रार्थीगण को अपार छति होगी जिसकी भविष्य में भरपाई करना मुमकिन नही हे। इसलिए प्रार्थीगण के खसरा नं0 1255 रकबा 0.96 है0, खसरा नं0 1440 रकबा 0.63 है0 किता 2 रकबा 1.59 है0 में हिस्सा 1/2 दक्षिण दिशा पर अप्राथीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करने और नही कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब पेश नही किया गया एवं मौखिक निवेदन किया कि सहखातेदार के हित प्रभावित होगें यदि ताफैसला वाद पाबंद किये गये तो अप्रार्थीगणो को अपार क्षति होगी।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गुणावगुण के आधार पर आद्योपन्त अवलोकन अध्ययन व मनन किया। प्राथीगण उक्त खसरा नं0 1255 रकबा 0.96 है0 व खसरा नं0 1440 रकबा 0.63 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.59 है0 में हिस्सा 1/2 दक्षिण दिशा के रेकार्डेड खातेदार काश्त कार है। इसलिए अप्रार्थीगण 1 ता 14 के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया